राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र

National Centre for Financial Education

एक आर्थिक रुप से जागरुक और सशक्त भारत

A financially aware and empowered India

Promoted By :-

वित्तीय शिक्षा पुस्तिका

प्रकाशक एवं मुद्रकः
राष्ट्रीय वित्तिय शिक्षा केन्द्र
प्रथम संस्करण, 2021

अस्वीकरण :
यह पुस्तिका, पाठकों को आर्थिक रूप से साक्षर बनाने के वास्तविक प्रयोजन से, एक पठन और शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह किसी विशेष वित्तीय उत्पादों अथवा सेवाओं संबंधी निर्णय लेने में पाठक को अनुचित रूप से प्रभावित करने से अभिप्रेरित नहीं है। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि कोई भी निवेश करने के पूर्व अपने निवेश सलाहकार से परामर्श करें।

कॉपीराइट : **प्रतिकृति की अनुमति है बशर्ते स्रोत को स्वीकार किया गया हो।**

एन.सी.एफ.ई. के बारे में (राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र)
राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एन.सी.एफ.ई.) धारा-8 के अधीन एक (गैर-लाभकारी) कंपनी है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.आई.), और पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

परिकल्पना – "आर्थिक रूप से जागरुक और सशक्त भारत"

मिशन - उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण हेतु निष्पक्ष व पारदर्शी तंत्र के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को के द्वारा वित्तीय हित-कल्याण प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से धन का प्रबन्धन करने में सहायता करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान आरंभ करना।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र के नियामक :

आर.बी.आई : भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) भारत का एक केन्द्रीय बैंक है, जो भारत की मौद्रिक नीति का प्रबन्धन करता है और भारत में बैंकिंग व गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को नियन्त्रित करता है।
वेबसाइट : https://www.rbi.org.in

सेबी : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति बाज़ार का नियामक है और इसे प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने, प्रतिभूति बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करने और विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।

वेबसाइट : https://www.sebi.gov.in
आई.आर.डी.ए.आई.: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक नियामक निकाय है जिसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने व प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा गया है।
वेबसाइट : https://www.irdai.gov.in

पी.एफ.आर.डी.ए.: पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) एक नियामक निकाय है जिसे पेन्शन क्षेत्र की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा गया है।
वेबसाइट : https://www.pfrda.org.in

विषयसूची

क्रमिक संख्या	मॉड्यूल	पृष्ठ संख्या
01	मूलभूत संकल्पनाएँ	05
02	बैंकिंग	08
03	डिजिटल भुगतान	10
04	बीमा	12
05	निवेश	14
06	सेवानिवृत्ति और निवृत्ति वेतन	16
07	धोखा अटकाव एवं परिवेदना निवारण	18

मोड्यूल 1

मूलभूत संकल्पनाएँ

आय, खर्च और बजट

क्या महीने के आखिर में आपके पास पैसों की कमी होती है? क्या आप अपनी पसंदीदा चीजों के लिए पैसे नहीं बचा पाते?

आप अपनी आय के साथ खर्चे को संतुलित करना सीख सकते हैं – और बचत के लिए कुछ और पैसे भी बचा सकते हैं। आइए, हम आपको समझाते है कि अपनी आय और खर्चे का प्रबंधन कैसे करते है।

प्राथमिकता निर्धारित करना: आवश्यकताएँ और इच्छाएँ

अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद मिलेगी और आप तय कर सकेंगे कि आपको पैसे कहाँ खर्च करने हैं।

1. आवश्यकता: यानी जरूरत, ऐसी चीज जिसकी जरूरत होती है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है

2. इच्छा: यानी अभिलाषा, ऐसी चीज जो हम चाहते हैं, जो आवश्यक नहीं होती

इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, "हमारे सिर पर छत" एक आवश्यकता है। इसी तरह से कपडें, खाना और दवाइयाँ भी आवश्यक है। "थिएटर में जाकर फिल्म देखना" और महंगी साड़ी, गहने आदि खरीदना इच्छाएं हैं।

आय

हम में से अधिकाशं लोगों के पास नौकरी, व्यवसाय, खेती, निवृत्तिवेतन (पेंशन) आदि के स्वरूप में आय का स्त्रोत होता है। कई लोगों को अपने निवेश पर ब्याज भी मिलता है।

आपके आय के स्त्रोत चाहे कुछ भी हो, आपको इस पर ध्यान रखने की और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इसका प्रबंधन करके, भविष्य के लिए भी बचत करने की जरूरत होती है।

खर्चे

जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आपको खाना, कपड़े, घर, परिवहन, संचार और ऐसे कई अन्य आवश्यक खर्चों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा, छुट्टियाँ, मनोरंजन, रिश्तेदारों के लिए उपहार और कई अन्य चीजें भी होती हैं। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो आपको अपने खर्चों के मामले में दो चीजें करनी होगी:

1. अपने खर्चों को समझें
2. अनावश्यक खर्चें कम करें।

अपने खर्चे को नियंत्रित करने के लिए पहला कदम है, अपने हर दिन के खर्चों पर ध्यान दें, ताकि आप जान सकें कि आप कितने पैसे खर्च करते हैं और इन खर्चों का विवरण क्या है।

हर रसीद को संभालें	**रोज के हर खर्च का रिकॉर्ड रखें**
महीने के अंत में अपने खर्चों का मूल्यांकन करे	**ऐसा तीन महीनों तक करें**

आप कितने पैसे खर्च करते हैं और कहाँ खर्च करते हैं, इसकी आपको जानकारी लेनी चाहिए।

बजट बनाना

अब जब आपको अपने आय और खर्चे से संबंधित सभी तथ्य ज्ञात हो चुके हैं, आपको इन्हें एक साथ रखना है और इसे ही हम बजट बनाना कहते है। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह केवल आय और खर्च की तुलना है।

आपकी कुल आय में से सभी खर्चों को घटाने के बाद आपको धनात्मक संख्या मिलती है या ऋणात्मक?

अगर यह संख्या धनात्मक है, तो आपके पास अधिशेष राशि है। बधाई हो! इन अतिरिक्त पैसों का उपयोग आप अपना कोई भी ऋण या कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं। या फिर आप अपनी मासिक बचत की राशि बढ़ा सकते हैं या भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं।

यदि यह संख्या ऋणात्मक है, तो आप के पास अभाव है। आपको अपने बजट को संतुलित करने के लिए अपनी आय बढ़ानी होगी। आपको अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देकर अपने खर्चे कम करने होंगे।

केवल एक बार बजट बनाना काफी नहीं है। इसका लाभ पाने के लिए, आपको नियमित रूप से बजट बनाना होगा। पहले केवल हफ्ते में एक बार बजट बनाएं और जब आपको आसानी महसूस हो तब इसे महीने में एक बार बनाएं।

<u>चक्रवृद्धि बेहतर क्यों है?</u>

साधारण ब्याज में, आपको केवल मूलधन (यानी आपके द्वारा निवेश की हुई मूल राशि) पर ही ब्याज मिलता है; जबकि चक्रवृद्धि में आपको मूलधन के साथ-साथ पहले अर्जित किए हुए ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं।

रु.100/- की राशि, 10 साल के लिए निवेश करने पर, 10% ब्याज दर से, साधारण ब्याज होता है रु. 100/- और चक्रवृद्धि ब्याज होता है रु. 160/-।

<u>72 का नियम:</u>

72 का नियम एक आसान और उपयोगी सूत्र है, जो दिए गए लाभ के दर के साथ निवेश किए गए पैसों को दोगुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे इसका अनुमान लगाने में सहायता करता है।

दोगुना होने के लिए लगनेवाले वर्ष = 72 / ब्याज दर

रु.1000/- की राशि को 9 % ब्याज दर से निवेश किया गया तो दुगना होने के लिए 72/9 = 8 वर्ष लगेंगे।

वित्तीय नियोजन

हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं वह हमारे वित्तीय निर्णयों पर आधारित होता है। वित्तीय निर्णय अगर सोच समझकर न लिए जाए तो ये कर्जों में डूबा सकते हैं, लेकिन सूझ-बूझ से लिए गए सही वित्तीय निर्णय अच्छी वित्तीय स्थिति प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए वित्तीय नियोजन करना आवश्यक है।

हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि, वित्तीय नियोजन केवल सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करने के बारे में होता है। सच तो है – पर ये इससे भी कई अधिक होता है। चाहे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो या युवा हो, गृहिणी हो या ज्येष्ठ नागरिक हो, आपको अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वित्तीय नियोजन करना जरुरी है।

वित्तीय नियोजन की शुरुआत इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर करें:

आज मैं कहाँ हूँ?
मैं कहाँ जाना चाहता हूँ?
मैं यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ?

वित्तीय योजना आपको इन मामलों में मदद कर सकती है:

- आज की आवश्यकताओं को आपके भविष्य के लक्ष्यों के साथ संतुलित करना
- अपने वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करना
- आपकी परिस्थितियों और आवश्यकताओं बदलाव के अनुसार अनुकूल होना।
- अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पैसे बचाना
- अनपेक्षित आपात स्थिति के लिए तैयार रहना
- आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी सुरक्षा करना
- सेवानिवृत्ति के लिए तैयार रहना
- अपने परिवार के लिए कुछ पूँजी छोड़ना
- अपने करों का प्रबंधन करना
- अपनी जिंदगी को सही तरीके से और सुरक्षा की भावना के साथ जीना `

वित्तीय लक्ष्य तय करना

वित्तीय नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण बात है लक्ष्य तय करना। लघु, मध्यम और दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है।

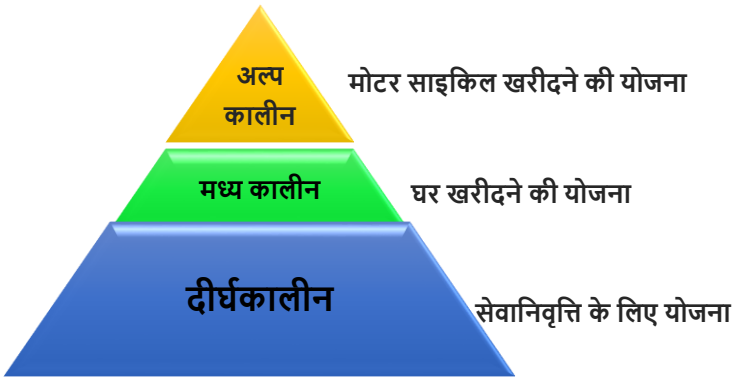

स्मार्ट लक्ष्य तय करना

अगर आपको कहीं जाना हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पता होना चाहिए। पैसों के मामले में भी ऐसा ही है। पैसों का अच्छे से प्रबंधन करने के लिए आपको क्या करना है यह पता होना चाहिए। लघु, मध्यम और दीर्घ-कालीन वित्तीय लक्ष्य तय करना जरुरी है।

उदाहरण के लिए, "मोटर साइकिल के लिए बचत करना" अस्पष्ट और मापने के लिए कठिन लक्ष्य है। आप प्रगति कर रहे है या आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है, यह आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन, "10 महीनों में 100 सीसी मोटर साइकिल के लिए 50000 रुपयों की बचत करना" **समझदारी** है। यह **विशेष रूप से किया जाता** है – आप अच्छे से जानते है कि आप किस चीज के लिए पैसे बचा रहे हैं। आप इसे **माप सकते** हैं – आपको पता होता है कि, आपको कितने पैसों की जरूरत है। और आप इन पैसों को वास्तव में जमा कर सकते हैं – आप कुल राशि को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं (हर महीने 5000 रूपये बचाना) जो करना आसान होगा। और इसके लिए **समय की सीमा** है, जैसे आपने 10 महीने की समय सीमा निर्धारित की हैं।

बचत:

आपके भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करने में बचत एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको **अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में** और अपने भविष्य के लिए पैसे जमा करने में मदद करेगा।

बचत क्या है?

बचत को इस प्रकार देखना सही दृष्टिकोण होग:

✗ **बचत = आय – खर्च**

✓ **खर्च = आय – बचत**

आपको कोई भी खर्च करने से **पहले** आय का थोडा सा हिस्सा अलग रखना चाहिए।

बचत क्यों करनी चाहिए?
बचत किए बिना, जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते है, तब आपको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उधार लेना महंगा होता है, क्योंकि आपको यह पैसे तो चुकाने पड़ते ही है पर साथ में ब्याज भी देना पड़ता है और अक्सर प्रतिमाह ब्याज दर ज्यादा होता है। बचत करने से आपको उधार लेने पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाता हैं।

बचत कैसे करें?

अब जब आपने पैसे बचाने का फैसला कर लिया हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? इन सुझावों को ध्यान में रखें:

अपने बचत और खर्चे के लिए योजना बनाएं। अनावश्यक खर्चों को कम करें और अपने बचत को अलग खातें में रखें। अपनी जरुरत की चीजों के लिए पैसे खर्च करें मगर समझदारी से।

पैसे बचाना शुरू करने से पहले किसी भी उच्च-ब्याज वाले ऋण को चुकाना सही तरिका है, क्योंकि आमतौर पर इस ऋण पर आपकी बचत योजना से कई अधिक पैसे खर्च होते हैं। पहले यह ऋण चुकाएं और बाद में नियमित रूप से बचत खाते में पैसे जमा करें।

पहले खुद के पास कुछ पैसे जमा करें। किसी भी चीज पर पैसे खर्च करने से पहले अपने आय से कुछ पैसे अलग से रखें। बचत करने के बाद जो पैसे बचे हैं उनका उपयोग चीजें खरीदने के लिए करें। साथ ही, अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो इसमें से कुछ पैसे (हो सकें तो ज्यादातर पैसे) बचत खाते में डालें। अतिरिक्त पैसे खर्च करने की आदत लगने से पहले ऐसा करना करना आसान होगा।

अपनी बचत में नियमित योगदान करें। इसे आसान बनाने के लिए, अपने बचत खाते में हर महीने अपनेआप पैसे स्थानांतरित करने की योजना कीजिए।

अपनी बचत को अधिकतम करने के लिए कर लाभ योजनाओं का फायदा उठाएं। ईपीएफ, पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस, एसएसवाय, एनपीएस जैसी योजनाएं अपनी बचत पर लगने वाले करों को कम करने का सही तरिका है।

बचत कहाँ करें?

आप जानते है कि आप हर महीने कम से कम थोड़े पैसे तो बचा ही सकते हैं। अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए कई तरीके हैं। आप बैंक में बचत खाता खोलने का आसान रास्ता चुन सकते हैं। यह आवर्ती या सावधि जमा या पोस्ट ऑफिस की बचत योजना हो सकती है।

बचत करते समय इन बातों को ध्यान में रखें :

- यह सुनिश्चित करें कि आप आपकी बचत विभिन्न साधनों में निवेश करें (विस्तृत सामग्री के लिए, मोड्यूल 5 - निवेश का संदर्भ लें)।
- कुछ हिस्सा तरल संपत्ति (लिक्विड असेट) में निवेश करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत पैसे निकाल सकें।
- बहुत जोखिम भरे/ अनियंत्रित साधन में अपने पैसे निवेश न करें, आप ये सारे पैसे गवा सकते हैं!!!

मोड्यूल 2 बैंकिंग

बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो लोगों से जमा धन स्वीकार करती है और जमा खाते में जमा करती है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

आइए, संक्षिप्त रूप में बैंक में जमा करने के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं :-

बचत खाता (डिमांड डिपॉजिट)

अल्पकालीन बचत के लिए बचत खाता आसान तरिका है। आप किसी भी बैंक में बचत खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। यह आपकी बचत को सुरक्षित रखेगा और थोडा ब्याज देगा। आप जब चाहे अपने पैसे निकाल सकते हैं।

आवर्ती जमा (टाईम डिपॉजिट)

आवर्ती जमा आरडी के नाम से प्रसिद्ध है और अगर आप कार खरीदने जैसे किसी विशेष कारण के लिए समय-समय पर पैसे बचा कर निधि तयार करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा तरिका है। जिन लोगों के पास ज्यादा बचत जमा नहीं हैं, लेकिन हर महीने थोड़े पैसे बचाने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के लिए यह सही तरिका है। इसमें पैसे निकालने की अनुमति नहीं है।

सावधि जमा (टाईम डिपॉजिट)

यह एफडी के नाम से मशहूर है और इस खाते में आप किसी निश्चित अवधि के लिए राशि जमा कर सकते हैं। जमाकर्ता को फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद दी जाती है, जो अवधि समाप्त होनेपर जमाकर्ता को दिखानी होगी। पैसे निकालने की अनुमति नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर, जुर्माना भरकर जमाकर्ता यह खाता बंद करने के लिए कह सकता है।

डिपॉजिट बीमा

डिपॉजिट बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) बचत, सावधि, चालू, आवर्ती जैसे जमा राशियों का बीमा करता है। बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के लिए उसके द्वारा जमा किए हुए मूलधन और ब्याज की राशि के लिए रु. 5,00,000 तक का बीमा किया जाता है।

वित्तीय समावेशन के लिये राष्ट्रीय मिशन के तहत 28 अगस्त 2014 को **"प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय)"** शुरू की गई थी जो पहले 4 सालों के लिए (दो चरणों में) थी। यह योजना हर घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, उधार, बीमा और सेवा निवृत्ति की सुविधा आदि के साथ सब को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देने की कल्पना है।

सरकार ने निम्नलिखित संशोधन के साथ "हर घर" से लेकर "हर प्रौढ़ व्यक्ति" के लिए खाता खोलने का लक्ष्य रखते हुए व्यापक पीएमजेडीवाय कार्यक्रम को 28.8.2018 के बाद आगे जारी रखने का फैसला किया है:

(i) ओव्हर ड्राफ्ट (ओडी) की मौजूदा सीमा रु. 5,000 से बढ़ाकर रु. 10,000 की है।
(ii) सक्रिय पीएमजेडीवाय खाते के लिए रु. 2000 तक की ओडी प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं है।
(iii) ओडी सुविधा का लाभ उठाने की आयु सीमा 18-60 वर्ष से बदलकर 18-65 वर्ष की है।
(iv) 28.8.2018 के बाद पीएमजेडीवाय के तहत खोले हुए नए खातों के लिए, नए रुपे कार्ड धारकों के लिए मौजूदा दुर्घटना बीमा कवर रु. 1 लाख से बदलकर रु. 2 लाख किया है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: https://pmjdy.gov.in/

भारत का बैंकिंग क्षेत्र

पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। भारत में, राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण: एसबीआई, बीओबी, पीएनबी आदि।

निजी क्षेत्र के बैंक: निजी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेअरधारकों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियम और विनियम देता है। उदाहरण: एचडीएफसी बैंक, आयसीआयसीआय बैंक, एक्सिस बैंक आदि।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: इन बैंकों की स्थापना खास तौर पर, सीमांत किसान, मजदूर, छोटे उद्योग जैसे, समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। ये मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंक: भारत की ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली को मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को निधि उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह तीन स्तर पर कार्य करती है, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक।

शहरी सरकारी बैंक (यूसीबी) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के वित्तीय जरूरतों के लिए निधि देती हैं।

नए बैंकिंग मॉडल

भुगतान बैंक: ये बैंक प्रतिबंधित जमा राशि को भी स्वीकार करते हैं, जो वर्तमान में प्रति ग्राहक रु. 100,000 तक सीमित है और ये सीमा बढ़ भी सकती है। भुगतान बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग और मोबाईल बैंकिंग जैसी सुविधाएँ भी दे सकती है। उदा.: भारतीय डाक भुगतान बैंक (आयपीपीबी)

लघु वित्त बैंक: जमा राशि स्वीकारने और बुनियादी उधार जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। इनका लक्ष्य है, अर्थव्यवस्था के जिन वर्गों को अन्य बैंक सुविधा नहीं देती हैं, उनका वित्तीय समावेशन करना, जैसे कि, छोटे व्यवसाय, छोटे और सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र संस्थाएं।

विकास वित्त संस्था (डीएफआई)

विकास वित्त संस्था (डीएफआई) को विकास बैंक के तौर पर भी जाना जाता है और यह ऐसी वित्तीय संस्था है जो गैर-वाणिज्यिक आधार आर्थिक विकास योजनाओं के लिए निधि देती है। उदाहरण: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आदि।

माइक्रो फाइनांस संस्था (एमएफआई)

जिन संस्थाओं में माइक्रोफायनांस मुख्य संचालन के रूप में करता है उन्हें माइक्रोफायनांस संस्था के रूप में जाना जाता है। ये संस्थाएं न केवल छोटे ऋण प्रदान करती हैं, बल्कि बीमा, प्रेषित धन जैसी अन्य वित्तीय सेवाएं और सूक्ष्म-व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण और समर्थन जैसी गैर-वित्तीय सेवाए प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी): गैर-बैंकिंग संस्था, एक ऐसी कंपनी जो आरबीआई द्वारा नियमित, कंपनी अधिनियम 1956/2013 के तहत पंजीकृत है। एनबीएफसी ऋण और अग्रिम राशि के व्यवसाय, प्रतिभूति का अधिग्रहण, पट्टा उधार व्यवसाय, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय आदि में शामिल है। ये बैंकों से अलग हैं, क्योंकि ये आम तौर पर डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती और भुगतान तथा निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सकती।

व्यापार संपर्की (बीसी): बैंकों को स्थानीय व्यक्ति और अन्य को बैंक के एजंट के रूप में कार्य करने के लिए बीसी के तौर पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है। बीसी सूचना एंव संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित उपकरणों का उपयोग करते हैं जैसे की हैंडहेल्ड मशीन, स्मार्ट कार्ड पर आधारित उपकरण, मोबाइल फोन आदि। अगर बैंक की शाखा हमारे क्षेत्र से बहूत दूर है बीसी के जरिए हमारे दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

उधार और ऋण प्रबंधन

कई लोगों को घर, कार या बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। इसे क्रेडिट यानी उधार कहा जाता है। वित्तीय विशेषज्ञ अक्सर अच्छे ऋण और बुरे ऋण के बीच का अंतर बताते हैं। अच्छा ऋण किसी ऐसे चीज में ऐसा निवेश है जो दीर्घ अवधि के बाद अच्छा मूल्य देता है या अधिक संपत्ति निर्माण करता है। बुरा ऋण ऐसी चीज खरीदने के लिए हुआ ऋण है जिसका मूल्य तुरंत कम होता है।

डेबिट कार्ड वि. क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने मिलकर केसीसी की संकल्पना को शुरू किया ताकि किसानों को आसानी से नकद ऋण सुविधा मिलने में सहायता हो सकें।
- किसान केसीसी का उपयोग कृषि के लिए आवश्यक चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि, बीज, खाद और कीटकनाशक आदि। केसीसी खेती के लिए अल्पकालिक और समय पर ऋण प्रदान करने में मदद करता है।

चेक

चेक एक ऐसा दस्तावेज है जो बैंक खाते में से धन का भुगतान करने का आदेश देता है।

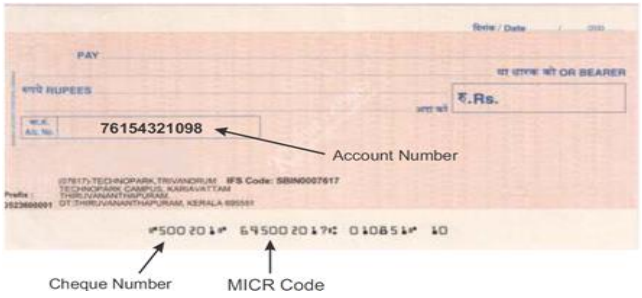

सरकारी ऋण योजनाओं के उदाहरण

विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक ऋण

- शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के लिए आसान और प्रभावी प्रणाली, ताकि कोई भी छात्र पैसों की कमी के कारण अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़ें
- छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। देखें: www.vidyalakshmi.co.in

प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)

- कम आय वाले समूह /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वाले समूह के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना।
- जब कोई व्यक्ति अपना पहला घर खरीदते हैं या नया घर निर्माण करते हैं तब वह इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। देखें:https://pmaymis.gov.in

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

- सरकारी योजना जो छोटे और मध्यम उद्यम के लिए मालिकों और उद्यमकर्ताओं के लिए व्यावसायिक ऋण प्रदान करती है।
- प्रदान किए जानेवाले ऋण: उपलब्ध ऋण की राशि के आधार पर शिशु, किशोर और तरुण
- आवश्यक प्रमुख दस्तावेज: पहचान पत्र, खरीदे हुए चीजों का कोटेशन और श्रेणी प्रमाणपत्र
  देखें: https://www.mudra.org.in

अल्प कालीन क्रेडिट
उदा: कामकाजी पूँजी, क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट

मध्यम/दीर्घ कालीन क्रेडिट
उदा: गृह कर्ज, उद्योग कर्ज

मोड्यूल 3

डिजिटल भुगतान

डिजिटल भुगतान वह भुगतान है जिसमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग करते हैं।

डिजिटल भुगतान के लाभ

- तेज, आसान और सुविधाजनक।
- किफायती और कम व्यवहार शुल्क।
- लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करता है जो ग्राहक देख सकते हैं।
- किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए एक ही समाधान प्रदान करता है।

डिजिटल भुगतान में क्या करें और क्या न करें

क्या करें	क्या न करें
अपने मोबाईल और कॉम्प्युटर के लिए पासवर्ड रखें ताकि कोई भी आपकी प्रणाली का उपयोग न कर सकें।	कभी भी अपने मोबाईल पर बैंकिंग लॉग इन और पासवर्ड सेव न करें। या तो इसे याद कर लें या कहीं और लिखकर रखें।
हमेशा अपने बैंक की सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर जाएं।	कभी भी अपना मोबाईल असुरक्षित और मोबाईल बैंकिंग एप्प में लॉग इन करके न रखें।
अपना लेनदेन पूरा होने के बाद तुरंत अपने अपने इंटरनेट बैंकिंग से लॉग आउट करें।	मोबाईल से वित्तीय लेनदेन करते समय कभी भी अपना फोन असुरक्षित न रखें
अगर आपको अपने खाते में संदेहास्पद लेनदेन दिखें तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें।	कभी भी अविश्वसनीय और संदेहास्पद स्त्रोतों से एप्प डाउनलोड न करें।

डिजिटल भुगतान के तरीके

बिना नकदी के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए और भारत को कम-नकदी वाला समाज बनाने के लिए डिजिटल भुगतान के कई तरीके उपलब्ध हैं।

(स्त्रोत: www.cashlessindia.gov.in)

बैंकिंग कार्ड	बैंक प्रीपेड कार्ड
इंटरनेट बैंकिंग	बिक्री स्थल (पॉइंट ऑफ सेल)
मोबाईल बैंकिंग	असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी)
माइक्रो एटीएम	आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)
मोबाईल वॉलेट	एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग जिसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई-बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था के ग्राहकों को वित्तीय संस्था के वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाता है। लेनदेन के प्रकार है:

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण (एनईएफटी)
लाभार्थी के खाता क्रमांक और आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) का उपयोग करके एक बैंक खाते से दूसरे बैंक के अलग खाते में निधि का स्थानांतरण करना।
न्यूनतम सीमा: कोई सीमा नहीं अधिकतम सीमा: कोई सीमा नहीं

वास्तविक समय सकल भुगतान (आरटीजीएस)
लाभार्थी के खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड का उपयोग करके, वास्तविक समय पर उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए, एक बैंक खाते से दुसरे बैंक के अलग खाते में निधि का स्थानांतरण करना।
न्यूनतम सीमा: 2 लाख अधिकतम सीमा: कोई सीमा नहीं

तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)
तत्काल निधि स्थानांतरण की सुविधा के जरिए एक बैंक खाते से दुसरे बैंक खाते में निधि का स्थानांतरण करना।
मोबाईल के माध्यम से निधि स्थानांतरण के लिए, बैंक द्वारा जारी किए गए मोबाईल मनी आइडेंटीफायर (एमएमआईडी) की आवश्यकता होती है। लाभार्थी का खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड का उपयोग करके भी लेनदेन किया जा सकता है।

आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस 24 x 7 उपलब्ध होते हैं।

मोबाईल बैंकिंग

मोबाईल बैंकिंग बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधा है, जो अपने ग्राहकों को मोबाईल फोन या टैबलेट जैसे मोबाईल उपकरणों का उपयोग करके, दूर से भी, विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है।

मोबाईल वॉलेट

मोबाईल वॉलेट डिजिटल रूप में नकदी रखने का तरिका है। डिजिटल वॉलेट में पैसे डालने के लिए उस व्यक्ति का खाता वॉलेट के साथ लिंक होना चाहिए। अधिकांश बैंकों के अपने ई- वॉलेट और कुछ निजी कंपनियाँ होती हैं। उदाहरण, पेटीएम, फ्रिचार्ज, मोबिकविक, ऑक्सीजन, एअरटेल मनी आदि।

बिक्री स्थल (पॉइंट ऑफ सेल)

बिक्री स्थल (पीओएस) एक ऐसा स्थल है जहाँ बिक्री की जाती है। बड़े पैमाने पर पीओएस मॉल, बाजार या शहर हो सकता है। सूक्ष्म स्तर पर, खुदरा विक्रेता पीओएस ऐसे स्थल को समझते हैं जहाँ ग्राहक लेनदेन पूरा करते हैं, जैसे की चेकआउट काउंटर। इसे खरीद स्थल भी कहा जाता है।

माइक्रो एटीएम

माइक्रो एटीएम एक ऐसा उपकरण समझा जाता है जिसका उपयोग व्यवसाय संपर्ककर्ता (बीसी) के द्वारा बुनियादी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए किया जाता है। यह मंच व्यवसाय संपर्ककर्ता को (जो एक स्थानिक खुदरा दुकान मालिक हो सकता है और 'माइक्रो एटीएम' के रूप में कार्य कर सकता है) तत्काल लेनदेन करने की सुविधा देता है।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

एईपीएस बैंक द्वारा चलाया जानेवाला मॉडल है, जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यवसाय संपर्की (बीसी)/बैंक मित्र के माध्यम से पीओएस (बिक्री स्थल/ माइक्रो एटीएम) पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा देता है।

असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी)

अभिनव भुगतान सेवा ***99#** असंरचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) चैनल पर कार्य करती है। यह सेवा मोबाईल फोन के बुनियादी विशेषताओं की मदद से मोबाईल बैंकिंग व्यवहार की सुविधा देती है। इसका उद्देश्य है वित्तीय गहनता प्रदान करना और अंडरबैंक वाले समाज को मुख्य बैंकिंग सेवाओं में शामिल करना।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)

एक ऐसी प्रणाली, जो कई बैंकिंग सुविधाओं, अखंड निधि स्थानांतरण और व्यापारी को भुगतान को एक साथ विलीन करके विभिन्न बैंक खातों की सेवा एक ही मोबाईल एप्प (किसी भी सहभागी बैंक के एप्प) में देती है।

इस प्रणाली में, वास्तविक समय के आधार पर 24 x 7 स्थानांतरण की सुविधा का लाभ लेते हुए, वीपीए (वर्चुअल भुगतान पता) का उपयोग करके स्मार्ट फोन के माध्यम से लेनदेन किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को केवल यूपीआई-सक्षम बैंक एप्प डाउनलोड करना होगा और बैंक विवरणों का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई के लाभ:

- गोपनीयता- केवल वर्चुअल भुगतान पता साझा करें, कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा न करें।
- विभिन्न उपयोग– कैश ऑन डिलीवरी / बिल स्प्लिट शेअरिंग/ व्यापारी भुगतान/ प्रेषित धन
- एक क्लिक 2 एफए – केवल एक ही पिन प्रविष्ट करके अधिकृत व्यवहार
- विभिन्न इंटरफेस पर कार्य – वेब इंटरफेस पर निर्मित भुगतान का अनुरोध, मोबाईल इंटरफेस (एप्प) पर अधिकृत
- 24 x 7 उपलब्धता और ग्राहक अपने वैयक्तिक उपकरण पर व्यवहार कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए, यह लिंक देखें:
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview

यूपीआई 2.0

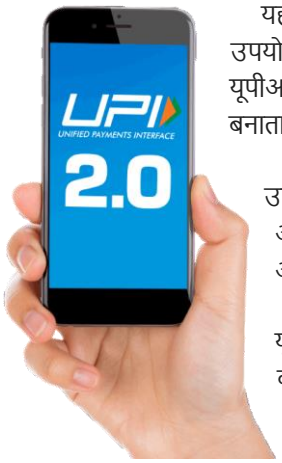

यह यूपीआई प्रणाली का नया संस्करण है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने ओव्हरड्राफ्ट खातों को यूपीआई हँडल के साथ लिंक करने में सक्षम बनाता है।

उपयोगकर्ता किसी विशिष्ट व्यापारी के लिए अधिकृत-पत्र जारी करके लेनदेन को पूर्व – अधिकृत भी कर सकते हैं।

यूपीआई 2.0 संस्करण में लेनदेन के चालान को देखने और संग्रहित करने की सुविधा भी दी गई है।

मोड्यूल 4

बीमा

कोई भी दुर्घटना या गंभीर बीमारी के लिए वित्तीय योजना नहीं बना सकता। आपके साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो सकती है। इसलिए अधिकांश लोग अपने लिए आवश्यक बीमा खरीदने के लिए इच्छुक नहीं होते। लेकिन दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और जब ऐसी घटना होती है तब हमें एहसास होता है कि हमें सुरक्षा के लिए बीमा कवर लेना चाहिए था। बीमा वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का साधन है और आकस्मिक तथा अनिश्चित नुकसान के जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

आम तौर पर बीमा दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. जीवन बीमा
2. सामान्य बीमा

1. जीवन बीमा

जीवन बीमा आपके मृत्यु के पश्चात आपके नामांकित व्यक्ति को वित्तीय लाभ प्रदान करता है। जबा आप जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तब आप नामांकित व्यक्ति का नाम भी बताते हैं। आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके वार्षिक आय के 7-10 गुना तक कवरेज वाला बीमा लेने की सिफारिश की जाती है।

जीवन बीमा के प्रकार

टर्म इंश्योरेंस: यह निश्चित कालावधि के लिए सक्रिय होता है और इस कालावधि के दौरान आपके जीवन के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति को 'बीमा राशि' प्राप्त होगी। भले ही प्रीमियम वापस नहीं किया जाता हो, लेकिन यह सबसे अच्छा जोखिम अल्पीकरण प्रदान करता है।

एंडोवमेंट इंश्योरेंस: एक जीवन बीमा करार जिसमें विशिष्ट अवधि के बाद या मृत्यु के बाद एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार किया गया है। सामान्यतः निश्चित आयु सीमा तक परिपूर्णता अवधि दस, पंद्रह या बीस वर्ष है।

संपूर्ण जीवन: स्थायी जीवन बीमा का प्रकार जो तब तक प्रभावी रहता है जब तक आप प्रीमियम भर रहे हैं।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस: बीमा और निवेश वहाँ का संयोजन, जिसमें बीमाधारक द्वारा दिए हुए प्रीमियम का एक हिस्सा बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकि हिस्सा इक्विटी और ऋण साधनों में निवेश किया जाता है।

2. सामान्य बीमा

ऐसे उत्पादों में वो बीमा शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन के साथ संबंधित नहीं होता है। ऐसा बीमा बीमाधारक को धन या स्वास्थ्य के जोखिम के खिलाफ सुरक्षित रखते हैं।

i) स्वास्थ्य बीमा

पिछले कुछ सालों से इलाज का खर्च कई गुना बढ़ गया है। आप कहाँ रहते हैं इसके अनुसार, डॉक्टर को केवल एक बार मिलने पर 300 से 3000 रूपये खर्च

करने पड़ते हैं। अगर आपके उपचार के लिए आपको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ें तो आपको बहुत ज्यादा मेडिकल बिल देना पड़ता है जो आपके बचत पर बहुत असर डालता है। इस तरह के असामायिक वित्तीय खर्च से बचने के लिए हमें अपना बीमा कराना आवश्यक है। प्रत्येक बीमा कंपनी चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करती हैं जो अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे के साथ मुलभुत चिकित्सा खर्चों को कवर करती है।

ii) गैर-स्वास्थ्य बीमा

a) वाहन/मोटर बीमा

वाहन बीमा (जिसे मोटर बीमा/कार बीमा/ऑटो बीमा भी कहा जाता है) ऐसा बीमा है सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए खरीदा जाता है। इस मुख्य उद्देश्य वाहन की किसी भी प्रकार की कानूनी देयता और/या दुर्घटना से होने वाली हानि के खिलाफ वाहन के मालिक को सुरक्षा प्रदान करना है। वाहन बीमा का कवरेज दो प्रकार का होता हैं:

मोटर तृतीय पक्ष (टीपी) देयता बीमा: तृतीय पक्ष बीमा कानूनी आवश्यकता है और सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन को यह बीमा लेना अनिवार्य है। वाहन के सार्वजनिक स्थल पर उपयोग करने के कारण उत्पन्न होनेवाली तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति को हुई किसी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए वाहन का मालिक कानूनी तौर पर उत्तरदायी है। सार्वजनिक स्थल पर बिना बीमा के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। कानूनी रूप से अगर बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए तो बीमा पॉलिसी उस दुर्घटना में किसी के संपत्ति को पहुंचा हुआ नुकसान या किसी व्यक्ति की चोट या मृत्यु के लिए कवरेज देती है।

मोटर की हानि (ओडी) का बीमा कवरेज: यह बीमित वाहन को दुर्घटना में हुए नुकसान को कवर करता है।

कुछ ऐसे बीमा भी हैं जो उपरोक्त में से एक या दोनों कवर प्रदान करते हैं। क्या शामिल है यह जानने के लिए अपनी बीमा पॉलिसी को ठीक से पढ़ना जरूरी है।

b) संपत्ति बीमा

संपत्ति बीमा सामान्य बीमा की एक बहुत बड़ी श्रेणी है और आप को कौन सा कवर चाहिए, ये बात आप किस प्रकार की संपत्ति के लिए सुरक्षा कवर चाहते हैं उस पर निर्भर होती है। सबसे लोकप्रिय संपत्ति बीमा है प्रमाणित **अग्नि बीमा पॉलिसी** और यह बीमा आग और संबद्ध आपदाओं, जैसे की बाढ़, सैलाब, चक्रवात, तूफान आदि, के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अग्नि बीमा पॉलिसी के तहत कवर की जा सकती है ऐसी सपंत्ति के विभिन्न प्रकारों में शामिल है, आवास, ऑफिस, दुकान, अस्पताल, औद्योगिक / उत्पादन जोखिम और सामग्री जैसे की मशीन, यंत्र, उपकरण और सामान; कच्चा माल, इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उद्योग जोखिम के बाहर के भरदार जोखिम सहित माल; उद्योग के जोखिम के परिसर से बाहर स्थित टैंक फार्म/गैस होल्डर आदि।

घर/निवास बीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति के घर की संपूर्ण बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

इसी तरह, **दुकानदार के लिए पैकेज पॉलिसी** को अधिकांश दुकानदारों के सभी बीमा योग्य जोखिमों का बीमा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आग, भूकंप, बिजली, बाढ़, चोरी आदि जैसे विभिन्न दुर्घटनाओं के खिलाफ व्यापक कवरेज प्रदान करता है। यह पॉलिसी इमारत, इसकी सामग्री, दुकान में रखे हुए पैसे आदि के लिए कवर देता है।

c) अन्य बीमा

यात्रा बीमा

व्यापक यात्रा बीमा प्रदान करता है:

- आपातकालीन चिकित्सा कवर
- अनपेक्षित कारणों से रद्द करने पर या अपनी यात्रा अधूरी छोड़ने पर होने वाला नुकसान
- मृत्यु और विकलांगता कवर
- कर्मचारी दायित्व कवर
- लगेज कवर

सामूहिक बीमा

इसमें निश्चित लोगों के समूह को शामिल किया जाता है, उदाहरण के लिए सोसायटी या पेशेवर संस्था के सदस्य या किसी विशेष नियोक्ता के कमर्चारी

फसल बीमा

यह सूखा, बाढ़, अन्य प्रकृति आपदाओं और कीटकों के आक्रमण के कारण फसलों के हानि या नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवर प्रदान करता है।

दावा करना

जब कोई आपदा होती है, जैसे की आपकी बाईक चोरी हो जाती है या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, तब दावा किया जा सकता है।

जब आप दावा करते हैं तब आप आधिकारिक रूप से बीमा कंपनी से आपकी बीमा पॉलिसी के शर्तों के तहत आप को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने के लिए कहते हैं।

जल्द से जल्द अपने बीमा दलाल, अभिकर्ता या कंपनी से संपर्क करें। क्योंकि अधिकांश कंपनियों की समय सीमा होती है जिसके भीतर आपको दावा दाखिल करना होता है। साथ ही, दावा करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना न भूलें।

भारत सरकार की बीमा योजनाओं के उदाहरण

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाय)

- 18 से 70 वर्ष की आयु तक के खाताधारकों को 2 लाख कवर तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करता है
- ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से बैंक खाते में से रु. 12/- का निश्चित वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है
- व्यक्ति केवल बैंक के एक ही बचत खाते के जरिए योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा
- यह बीमा दुर्घटना के कारण होने वाले स्थायी और आंशिक विकलांगता के लिए कवर देता है (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाय) – आयुष्मान भारत

- गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिक परिवारों की पहचान की हुई व्यवसायिक श्रेणी को लक्षित करनेवाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करती है
- परिवार के आकार, आयु और लिंग के मामले कोई प्रतिबंध नहीं है
- अस्पताल में भर्ती होने पर परिवार को उपचार के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है (https://www.pmjay.gov.in)

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय)

- बीमा के माध्यम से किसानों को फसल की खराबी से बचाना फसल बीमा का उद्देश्य है
- यह योजना किसानों को व्यापक श्रेणी के बाहरी जोखिमों के खिलाफ बीमा देती है – जैसे की, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, सैलाब, कीटक और बीमारियाँ, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली,ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान आदि।
- इस योजना में फसल काटने के बाद 14 दिन के अवधि तक के नुकसान हो कवर किया है (https://pmfby.gov.in)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाय)

- 18 से5 50 वर्ष की आयु तक के (बचत खाते) खाताधारकों को 2 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान करता है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से बैंक खाते में से रु. 330/- का निश्चित वार्षिक प्रीमियम लिया जाता है। (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

मोड्यूल 5

निवेश

निवेश लाभप्रद गतिविधि हो सकती है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य पूरा करने में मदद कर सकती हैं; लेकिन, निवेश संमिश्र हो सकता है और अक्सर जोखिमभरा भी होता है। उचित ज्ञान के साथ, आप अपनी इच्छा के अनुसार, संमिश्रता और जोखिम का स्तर चुन सकते हैं।

प्रमुख घटक

आपको हर निवेश, लाभ, जोखिम और तरलता के बारे तीन प्रमुख घटकों की जानकारी होना आवश्यक हैं।

रिटर्न, वह लाभ है, जिसे निवेशक निवेश करने पर अर्जित करता है। यह दो भिन्न रूपों में प्राप्त होता है: आय या पूँजीगत लाभ।

जोखिम (रिस्क) अर्थात अनिश्चितता। आप सुनिश्चत नहीं होते हैं कि आपके निवेश से आपको उच्च लाभ होगा या आप अपना धन खो सकते हैं। जोखिम और रिटर्न साथ-साथ चलते हैं, जिसका अर्थ है कि अपने निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको अधिक जोखिम लेना होगा।

नकदी, मौजूदा बाजार मूल्य पर या उसके निकट किसी निवेश को जल्दी से नकदी करना या बेचने की क्षमता है। यह निवेश के मूल्य को प्रभावित करता है। सूचीबद्ध स्टॉक और सरकारी बॉन्ड नकद होते हैं, क्योंकि आप आमतौर पर उन्हें आसानी से बेच सकते हैं।

निवेश लक्ष्य

आपके निवेश लक्ष्य इस बात पर निर्भर करते हैं की आप जीवन में किस स्थान पर है (छात्र, कर्मचारी, सेवानिवृत्त आदि)। आपके लक्ष्य अन्य लोगों से अलग होंगें और आप जीवन में जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपके लक्ष्य भी बदलते जाएंगे। आमतौर पर एक ही समय में आपके कई लक्ष्य होते हैं। आप दीर्घ कालावधि में ज्यादा लाभ चाहते होंगे और साथ ही आपातकाल के लिए सुरक्षित और लचीला निधि भी रखना चाहते होंगे। हर परिवार के विभिन्न उद्देश्य होंगे और हर एक के लिए अलग निवेश कार्यनीति की आवश्यकता होगी।

व्यक्तिगत घटक निवेश विकल्पों पर कैसे असर डालते हैं यह जानने का आसान तरिका है आप जीवन में किस स्थान पर, किस स्थिति में हैं यह जानना।

चरण 1

यदि आप युवा हैं, तो आप अधिक जोखिम लेने के इच्छुक हो सकते हैं क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हैं। यदि आपके निवेश का मूल्य गिरता है, तो आपके पास पुनर्प्राप्ति के लिए समय होगा और आपका निवेश लंबी अवधि के लिए बढ़ेगा।

चरण 2

यदि आप नए परिवार की शुरूआत कर रहे हैं, तो आप सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगे। आप अभी भी लंबी अवधि के लिए योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको कम अवधि की बचत और आपातकालीन के लिए अपने धन के कुछ भाग को अपने पास रखने की आवश्यकता है।

चरण 3

यदि आपका परिवार अधिक आत्मनिर्भर है, तो आपको कम-अवधि की बचत के लिए कम आवश्यकता हो सकती है, और आपके सेवानिवृत्त के लिए अधिक बचत करने में सक्षम होंगे। आप निवेश के लिए नकदी के साथ अपने अर्जन वर्ष के शिखर पर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी जोखिम में अपने धन को निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं हो सकते।

चरण 4

एक बार जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आप अपने सार्वजनिक या निजी पेंशन जैसे लाभों को जोड़ने के लिए नियमित, विश्वसनीय आय प्रदान करने के लिए अपने निवेश पर निर्भर हो सकते हैं।

मुद्रास्फीति और निवेश पर इसका असर

मुद्रास्फीति यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ना। समय के साथ, जैसे-जैसे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है, वैसे एक इकाई पैसों से, मानों एक रुपया या 100 रूपये, से वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता कम होती जाती है। दुसरे शब्दों में, पैसों की खरीदने की शक्ति कम होती है। वित्तीय नियोजन के दौरान मुद्रास्फीति का आपके निवेश पर पडनेवाले प्रभाव को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

मुद्रास्फीति मेरे निवेश के निर्णय पर कैसे असर डालती हैं?

पाच साल पहले जिस वडापाव की कीमत रु.5/- थी अब उसकी कीमत है रु.10/-. कीमत में यह वृद्धि ज्यादा मात्रा या बेहतर गुणवत्ता के कारण नहीं है, बल्कि मुद्रास्फीति के कारण सामग्री की कीमतों पर पडने वाले प्रभाव के कारण है।

धन का सामयिक मूल्य: समय के संबंध में धन के सामयिक मूल्य में परिवर्तन धन के सामयिक मूल्य की अवधारणा लाता है। वर्तमान समय में उपलब्ध धन का मूल्य उसकी संभावित क्षमता के कारण भविष्य में उसी राशि से अधिक होता है।

विविधता

अपने सारे निवेश एक ही जगह रखना अच्छा विचार नहीं है। अगर आप अपने पैसे विभिन्न निवेशों में लगाएंगे और अगर एक-दो निवेशों में पैसे गवा देते हैं तो अन्य तरीकों से होनेवाला लाभ आपके निवेश को संतुलित रखेगा। इसे ही विविधता कहते हैं। निवेश करते समय जोखिम कम करने का यह एक तरिका है।

प्रतिभूति बाजार में निवेश

प्रतिभूतियों को आमतौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: इक्विटी और डेट। प्रतिभूतियों को प्रतिभूति बाजार में बेचा जाता है।

प्राथमिक बाजार: कंपनी पहली बार प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति जारी करती है। उदा. आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव)
द्वितीय बाजार: स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों का व्यापार करना। उदा. बीएसई, एनएसई आदि।

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी): सेबी ने सभी प्रतिभूति बाजार निवेशकों के लिए केवायसी (अपने ग्राहक को जाने) आवश्यकता निर्धारित की है। सेबी ने **ऑनलाइन केवायसी (ई-केवायसी)** की सुविधा प्रदान करनेवाले तकनीकी अविष्कारों का उपयोग करने की अनुमति दी है। इन तकनीकों के उपयोग से निवेशकों को मध्यस्थ के कार्यालय में जाए बिना केवायसी की जरूरतों को पूरा करने की सुविधा प्राप्त हुई है।

इक्विटी

इक्विटी कंपनी का एक हिस्सा है, जिसे स्टॉक या शेअर के रूप में भी जाना जाता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तब आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक होते हैं और जब कंपनी को लाभ होता है तब आप भी उस लाभ की अपेक्षा कर सकते हैं। सार्वजनिक/सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, स्टॉक एक्सचेंज पर इन शेयर्स का लेनदेन होता है जहाँ आप स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं, इस प्रकार बाजार स्थल प्रदान किया जाता है। इक्विटी में निवेश करना जोखिम भरा है और अन्य निवेशों की तुलना में निश्चित ही इसमें अधिक समय लगता है।

ऋण प्रतिभूतियाँ

ऋण प्रतिभूतियाँ निश्चित राशि, पूर्णता दिनाक और आमतौर पर विशेष ब्याजदर वाले साधन होते हैं, जैसे की, बांड, ऋणपत्र, वचनपत्र आदि। इसमें अक्सर इक्विटी की तुलना में कम जोखिम होती है। जब कोई कंपनी या सरकारी एजेंसी ऋण लेने का फैसला करती है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, बैंक से वित्तीय सहायता लेना और दूसरा है पूँजी बाजार में निवेशकों को ऋण जारी करना। इसे डेट इश्यू के नाम से भी जाना जाता है।

म्यूचुअल फंड

म्यूच्यूअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकठ्ठा करते हैं और स्टॉक, बांड, अल्पकालीन मनी-मार्केट साधन, अन्य प्रतिभूतियाँ या संपत्ति या इन निवेशों के कुछ संयोजन में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड की संयुक्त पूँजी को उसका पोर्टफोलियो कहा जाता है। प्रत्येक इकाई फंड की पूँजी में निवेशकों का आनुपातिक स्वामित्व और इस पूँजी द्वारा कमाई हुई आय दर्शाती है।

यथाक्रम निवेश योजना (एसआईपी): जब निश्चित समय के अंतराल पर म्यूचुअल फंड में निश्चित राशि का निवेश किया जाता है तब उसे एसआईपी कहते हैं, जो वर्तमान में लोकप्रिय निवेश योजना बन रही हैं।

इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस): ये म्यूचुअल फंड निवेश की योजनाएं हैं हो आपको आयकर बचाने में मदद करती है (करदाताओं को विशेष प्रतिभूति में रु.1.5 लाख तक निवेश करने की अनुमति देती है और उनके करयोग्य आय से कटौती के रूप में इस राशि पर दावा करती है)।

स्वर्ण इटीएफ: स्वर्ण इटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कमोडिटी पर आधारित म्यूच्यूअल फंड है जो सोने जैसी संपत्तियों में निवेश करता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्वतंत्र स्टॉक की तरह प्रदर्शन करते हैं और उनकी तरह स्टॉक एक्सचेंज पर इनके व्यवहार होते हैं।

सॉवरेन स्वर्ण बांड (एसजीबी):

ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो स्वर्ण के वजन में दर्शायी जाती हैं। ये भौतिक सोना रखने का दूसरा विकल्प है। निवेशकों को इश्यु की कीमत नकदी में चुकानी होती है और कालावधि पूर्ण होने पर बांड को नकदी में रूपांतरित किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बांड जारी करता है।

रिअल इस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी): आरईआईटी ऐसी संस्थाएं हैं जो रिअल इस्टेट में संपत्ति खरीदती हैं और उनके विकास के लिए निधि देती हैं। यह निवेशकों को रिअल इस्टेट में निवेश से लाभांश देता है – बिना कोई संपत्ति खरीदें, प्रबंधित किए या इसके लिए निधि दिए बिना।

सरकारी योजनाओं में निवेश

- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
- डाकघर बचत/आरडी खाता
- सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
- किसान विकास पत्र (केवीपी)
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

- जो निवेशक सुरक्षित और निश्चित लाभ चाहते हैं उनके लिए इन योजनाओं की सिफारिश की जाती है।
- वित्त मंत्रालय की मंजूरी पर, हर तीन महीने में इन योजनाओं पर ब्याज दर के बारे में सुचना दी जाती है।
- डाकघर योजनाओं में निवेश किए हुए कुल राशि पर सॉवरेन गारंटी होती हैं, इस लिए इसे अधिक सुरक्षित समझा जाता है।
- अधिक जानकारी के लिए, लिंक देखें https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-office-saving-schemes.aspx

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

एसएसवाय बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त बचत योजना है। यह 10 वर्ष के कम आयु की लड़की के लिए उसके माता-पिता द्वारा शुरू की जा सकती है। माता-पिता 2 बच्चियों के लिए (अगर दो से अधिक लडकियाँ हैं तो तीसरी/चौथी लड़की के लिए ऐसा खाता नहीं खोल सकतें) ऐसा खाता खोल सकते हैं। इस खाते की अवधि 21 वर्ष तक या 18 वर्षे के बाद लड़की की शादी होने तक है।

मोड्यूल 6 सेवानिवृत्ति और निवृत्ति वेतन

कई साल बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद, आप स्वस्थ, सक्रिय और सुरक्षित सेवानिवृत्ति चाहते हैं। चाहे आप जल्दी सेवानिवृत्त हो या बूढ़े होने तक काम करें, लेकिन आप चाहते हैं कि निवृत्त होने के बाद आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। क्या आपके पास सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त पैसे हैं?

अगर आप अधिकांश भारतीयों की तरह है, तो आपके युवा और मध्यम आयु के वर्षों में आपको अधिक समय और पैसे खर्च करने पड़ते हैं: बच्चों को बड़ा करना, घर खरीदना और संभालना, त्यौहार मनाना। आप इतने व्यस्त होते हैं कि सेवानिवृत्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते या भविष्य के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो सकता है।

सेवानिवृत्ति की योजना बनाते हुए इन मुद्दों को ध्यान में रखें

मुद्रास्फीति यानी उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ना। यह आपकी सेवानिवृत्ति को दो तरह से प्रभावित करता है। पहली बात यह है कि, आप जिन चीजों को खरीदते हैं, कुछ समय के बाद उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी उस मात्रा में चीजों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि, मुद्रास्फीति के कारण आपकी सेवानिवृत्ति की बचत का मूल्य कम होता है। लंबे समय तक जीवित रहने की जोखिम (आयु-संभाविता बढ़ना) को भी ध्यान में रखना चाहिए। 60 वर्ष की आयु-संभाविता बढ़ रही है, इसलिए सेवा निवृत्ति के बाद जीवन संभालने और अपने जीवनशैली को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से प्रावधान करने की आवश्यकता है। जब आप सेवानिवृत्ति निधि जमा करते हैं तब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की हुई और पीएफआरडीए द्वारा नियंत्रित सेवानिवृत्ति योजना है जो ऐसे लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है जिनके पास नियमित आय का स्त्रोत नहीं हैं। यह योजना स्वैच्छिक है और 18 से 65 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एनपीएस की सदस्यता लेकर आप अपने कामकाजी जीवन के दौरान यथाक्रम पैसे बचा सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं। इस योजना की सदस्यता लेने के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपयों का निवेश आवश्यक है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे, सामान्यतः 60 वर्ष के बाद, तब आपको अपने पैसों का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा और बाकि के पैसे आपकी पसंद की किसी वार्षिक योजना में निवेश किए जाएंगे ताकि आपको मासिक आधार पर पेंशन प्राप्त हो सकें। एनपीएस में आपके निवेश पर, एक निश्चित सीमा तक, आयकर से छूट प्राप्त होती है।

एनपीएस विभिन्न श्रेणी के संपत्तियों का संयोजन प्रदान करता है यानी इक्विटी, कोर्पोरेट ऋण, सरकारी प्रतिभूतियां और वैकल्पिक निवेश वर्ग। इस प्रकार ये निवेशकों को निवेश में विविधता प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा, जिन सदस्यों को निवेश और संपत्ति के नियतन के बारे में सिमित ज्ञान और

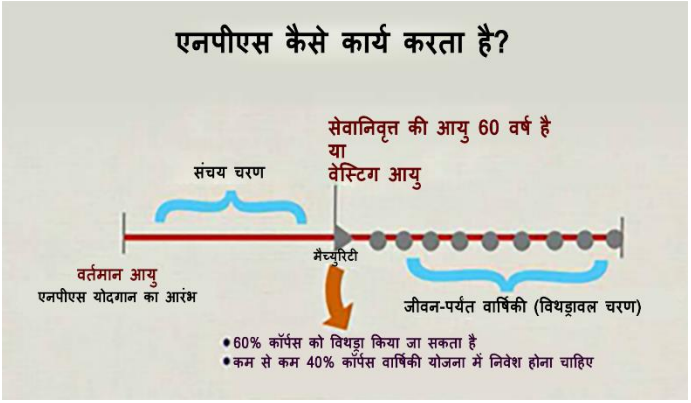

समझ हैं, ऐसे सदस्य तीन जीवन चक्र फंडों (रुढ़िवादी, माध्यमिक और आक्रामक) में से कोई भी एक चुन सकते हैं, जो ग्राहकों के आयु के आधार पर, पूर्व-निर्धारित तरीके से विभिन्न संपत्ति के वर्गों में सपंत्ति को वितरित करके स्वचालित तरीके से विविधीकरण प्रदान करता है।

निम्नलिखित 3 शर्तों पर एनपीएस से बंद करने की अनुमति है:

i) एनपीएस सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर
ii) समयपूर्व बाहर निकलने पर
iii) एनपीएस सदस्य की मृत्यु होनेपर।

अधिक जानकारी के लिए देखें https://www.pfrda.org.in

अटल पेंशन योजना (एपीवाय)

भारत सरकार असंगठित और गरीब मजदूरों के वृद्धावस्था में आय सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उन्हें सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 18 से 40 आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाय शुरू कर सकता है और 60 साल के बाद प्रतिमाह 1000 से लेकर 5000 रुपयों तक न्यूनतम पेंशन गारंटी से प्राप्त कर सकता है। एपीवाय में शुरू करने के लिए आपके पास बचत खाता होना चाहिए। 1000 रुपयों की पेंशन प्राप्त करने के लिए, 18 वर्ष की आयु में रु.42 इतना कम योगदान देना होगा। उम्र के साथ योगदान की राशि बढ़ती है, इसलिए कम उम्र में योजना शुरू करना हमेशा लाभदायक होता है।

जब आप एपीवाय शुरू करते हैं, तब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप ने अपने बुढ़ापे के लिए पूरी तैयारी कर रखी हैं, क्योंकि यह योजना 60 वर्ष आयु होने के बाद तीन गुना लाभ प्रदान करती है। इस सदस्य को जीवनभर मासिक पेंशन प्राप्त होगी और सदस्य के मृत्यु के बाद समान राशि के पेंशन उसके जीवनसाथी (पती या पत्नी) को दी जाएगी और

सदस्य और उसके जीवनसाथी के मृत्यु के पश्चात सदस्य के 60 वर्ष की आयु तक जमा की हुई पेंशन की राशि सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति को वापस दी जाएगी। समय से पहले सदस्य की मृत्यु होनेपर (60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर) सदस्य का जीवनसाथी सदस्य के एपीवाय खाते में योगदान देना शुरू रख सकते हैं या एपीवाय खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें https://www.pfrda.org.in

विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए पेंशन योजना

भारत सरकार ने विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जैसे कि, **असंगठित मजदूर, खुदरा विक्रेता** और **व्यापारी** (स्वयं-रोजगार श्रमिक) और भूमिधारक **छोटे और सीमांत किसान**।

i) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवायएम) योजना।

यह असंगठित मजदूरों के लिए बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

असंगठित मजदूरों में अधिकतर घर में **काम करने वाले मजदूर, रास्ते पर चीजें बेचने वाले विक्रेता, मिड-डे मील मजदूर, बोझ उठाने वाले मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची, कूड़ा उठाने वाले, घरेलु कामगार, धोबी, रिक्शा खींचनेवाले, भूमिहीन मजदूर, खुद का काम करने वाले मजदूर, खेती में काम करने वाले मजदूर, इमारत बनाने वाले मजदूर, बीडी कामगार, हैंडलूम कामगार, चमड़े का काम करनेवाले मजदूर, ऑडियो-विडिओ कामगार और इसी तरह के अन्य व्यवसाय** में काम करनेवाले मजदूर जिनकी मासिक आय रु. 15000/- प्रतिमाह या इससे कम है और जो 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु के हैं।

पीएम-एसवायएम के सदस्य को मिलनेवाले लाभ हैं :

(i) न्यूनतम आश्वासित पेंशन: पीएम-एसवायएम के तहत हर सदस्य को 60 वर्ष आयु के बाद हर महीने 3000/- प्रतिमाह की न्यूनतम आश्वासित पेंशन मिलेगी।

(ii) पारिवारिक पेंशन: पेंशन मिलने के दौरान, अगर सदस्य की मृत्यु हों जाती है, तो लाभार्थी के जीवनसाथी को सदस्य को मिलनेवाली पेंशन का 50% पेंशन पारिवारिक पेंशन के तौर पर प्राप्त होगी। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी (पती/पत्नी) को ही लागू होगी।

(iii) **बाहर निकलना और पैसे निकालना**: अगर लाभार्थी ने नियमित रूप से योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष से पहले) उसकी मृत्यु हो जाती है तो, उसके पती/पत्नी को इसके आगे नियमित रूप से भुगतान जारी रखकर योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने और पैसे निकालने के प्रावधान के अनुसार योजना से बाहर भी निकल सकते हैं।

पीएम-एसवायएम 50:50 के आधार पर अंशदायी पेंशन योजना है जहाँ लाभार्थी निर्धारित आयु-विशेष योगदान देता है और केंद्र सरकार भी इसी राशि के समान योगदान देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में इस योजना में प्रवेश करती है, उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह रु.100/- भरने पड़ते हैं और केंद्र सरकार भी रु.100/- का योगदान देगी।

ii) पीएमएलवीएमवाय (प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना)

यह **खुदरा विक्रेता और व्यापारियों (स्वयं-रोजगार मजदूर)** को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना है।

सभी दुकानदार और स्वयं-रोजगार वाले व्यक्ति और खुदरा विक्रेता जिनका जीएसटी टर्नओवर रु. 1.5 करोड़ से कम है और जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है, वे इस योजना के तहत सदस्य बन सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को 50% मासिक योगदान देना होता है और केंद्र सरकार इसी राशि के समान योगदान देती है। 60 वर्ष की आयु होने के बाद, सदस्य रु.3000/- की मासिक न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने के पात्र होते है।

iii)प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमडीवाय)

यह पेंशन योजना देश के सभी भूमिधारक **छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ)** की वृद्धावस्था सुरक्षित करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को 60 वर्षे की आयु के बाद रु.3000/- की मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

अन्य पेंशन योजनाएं

भारत में, सरकार द्वारा प्रचार किए जानेवाले पेंशन योजनाओं के अलावा, कुछ **सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की संस्थाएं** भी पेंशन योजनाएं प्रदान करती हैं। सेवानिवृत्ति योजना के साथ यह पेंशन योजनाएं निवेश के अवसर के साथ अन्य अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ पेंशन योजनाएं निम्नलिखित है:

i) **जीवन बीमा कवर के साथ पेंशन योजना** जैसे की यूएलआईपी (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना) जीवन बीमा और पेंशन का संयोजन है।

ii) **पेंशन फंड ओरिएंटेड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड**

iii) **तत्काल वार्षिकी योजना** वार्षिकी फंड में राशि जमा करने तुरंत बाद जीवनभर एक निर्दिष्ट राशि का वार्षिक भुगतान करती है।

मोड्यूल 7

ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण

आर्थिक धोखा और घोटाला वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। हर साल हम नयी-नयी कहानियां सुनते हैं कि लोगों ने अवैध योजनाओं में निवेश करके सारे पैसे गवा दिए। लेकिन इन सब से दूसरे लोगों ने ऐसी योजनाओं का शिकार न होने का सबक नहीं सिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपराधी बहुत क्रिएटिव होते हैं और नए शिकार ढूंढने के लिए अपनी कार्यनीति बदलते रहते हैं। आप ऐसी जोखिमों के बारे जागरूक रहकर अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसे धोखे का शिकार हुआ है?

इन धोखों और घोटालों से खुद को सुरक्षित रखने में पहला कदम हैं इन विभिन्न प्रकार के धोखों और घोटालों के बारे में जानना और इन्हें पहचानना।

धोखा और घोटालों के प्रकार

धोखेबाज और घोटालेबाज लोगों को विभिन्न तरीकों से निशाना बनाते हैं: जब व्यक्ति निवेश कर रहा हो तब ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत जानकारी चुराकर।

पॉन्झी योजनाएं कैसे काम करती हैं?

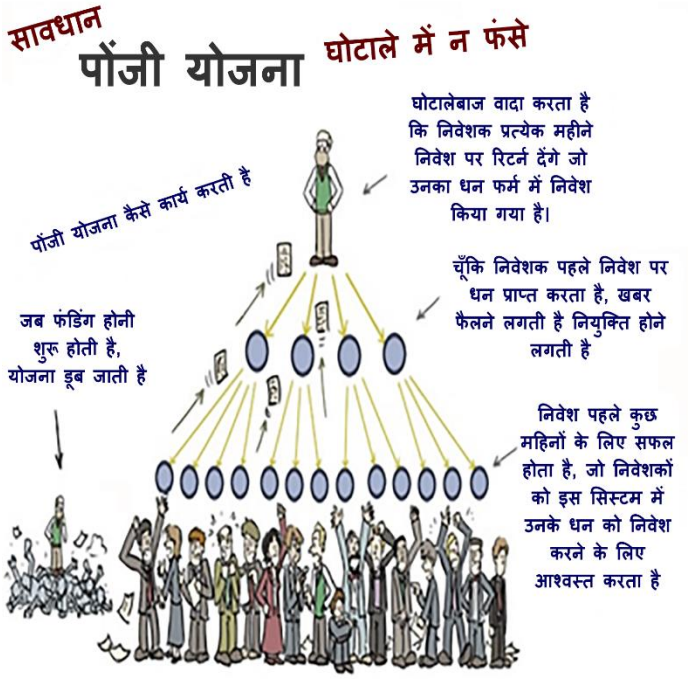

बड़ा मार्केटिंग फ्रॉड

आपको एक कपटपूर्ण ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि यह एक वैध कंपनी से आता है, जो आपको उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है जो आपको एक नकली वेबसाइट पर लाता है। सुरक्षित रहने के लिए, कभी भी निवेश न करें, दान न करें या फोन पर खरीदारी न करें, जब तक कि आप कंपनी के अस्तित्व को मान्य नहीं कर सकते।

निवेश फ्रॉड

कोई आपको किसी व्यवसाय में निवेश करने या बेचने के लिए, माल खरीदने के लिए नियुक्त करता है। आपसे नए सदस्यों की नियुक्ति की अपेक्षा की जाती है। कुछ समय बाद नए लोग जुड़ना बंद कर देते हैं। इसी समय प्रमोटर आपका धन अपने साथ लेकर गायब हो जाते हैं।

लॉटरी स्कैम

"बधाई हो आपने लॉटरी/स्वीपस्टेक/बड़ा पुरस्कार जीता है। अपने पुरस्कार को पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा शुल्क या कर भुगतान भेजना है।" वैध प्रतियोगिताएं आपके पुरस्कार लेने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लेती हैं।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड तब होता है जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपके कार्ड, कार्ड की जानकारी या व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) का उपयोग करता है। कभी भी किसी को अपना पिन न बताएं।

एफिनिटी फ्रॉड

धोखेबाज आपका विश्वास अधिक आसानी से जीत सकते हैं यदि आप ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो एक सामान्य कारण, जैसे कि एक धार्मिक या सामाजिक संगठन साझा करते हैं, धोखेबाज निवेशकों से इस मामले को शांत रखने के लिए कह सकते हैं।

शिकायत निवारण – बैंकिंग, निवेश, बीमा और पेंशन

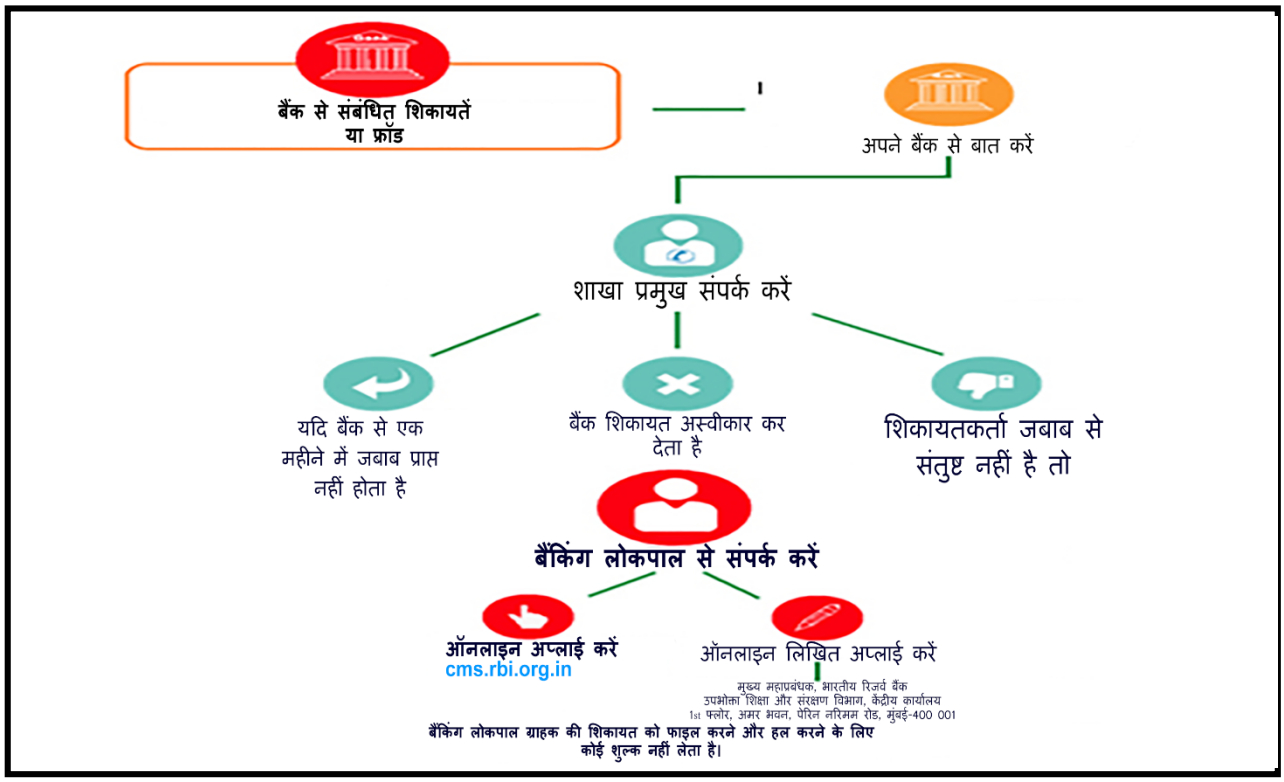

सीएमएस: शिकायत प्रबंधन प्रणाली

निवेश – सेबी

स्कोर्स : सेबी शिकायत निवारण प्रणाली

बीमा – आईआरडीएआई

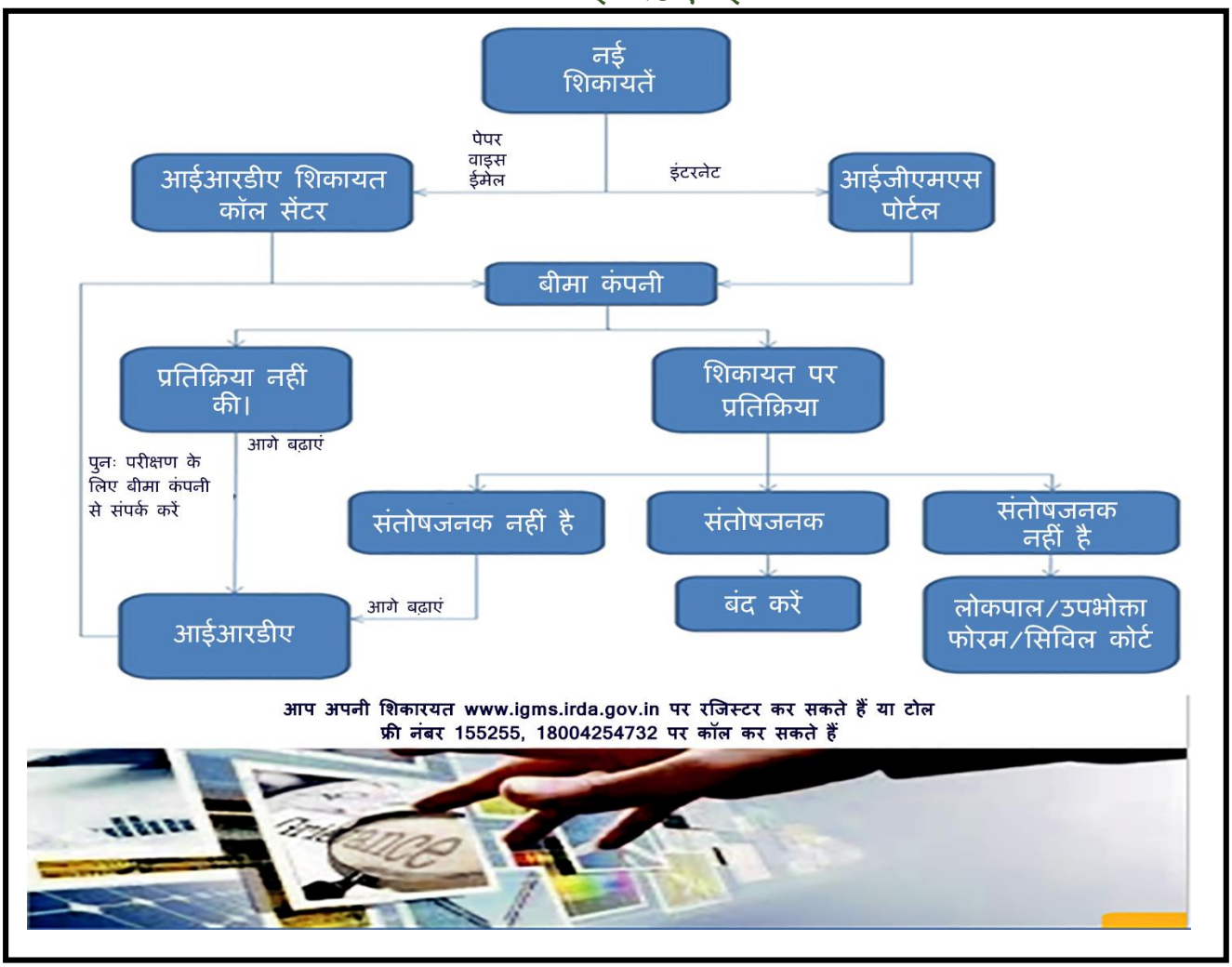

आईजीएमएसः इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम

पेंशन

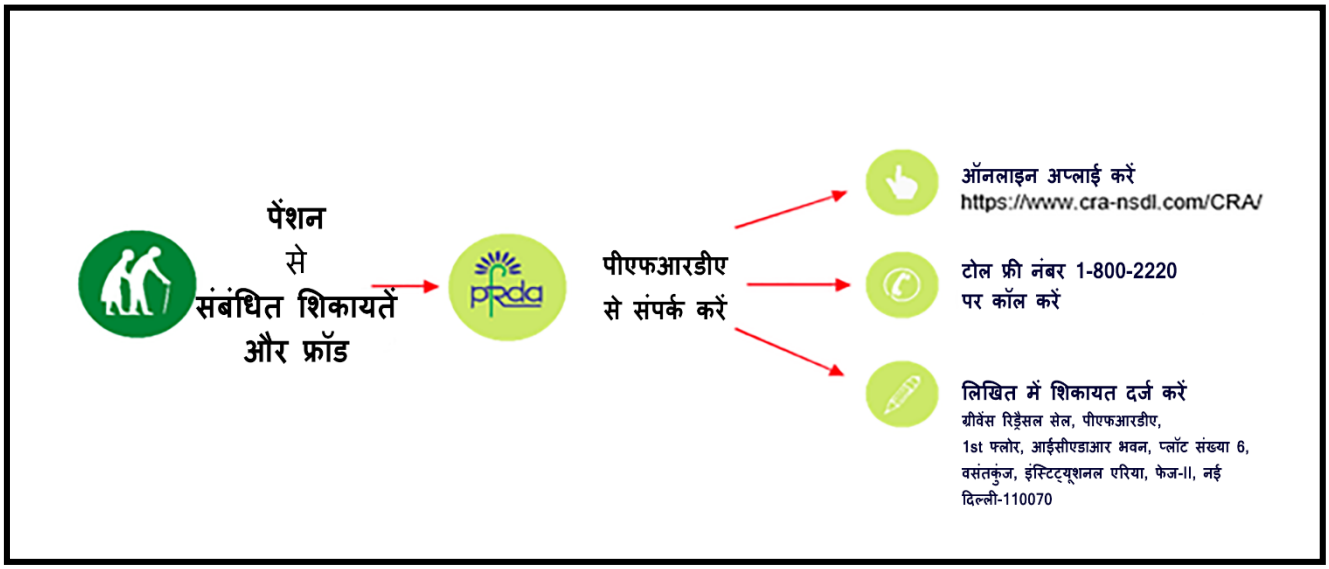

पीएफआरडीए ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम

Notes

Notes

एन.सी.एफ.ई. - वित्तीय शिक्षा फ़्लैगशिप कार्यक्रम

जनसंख्या के विभिन्न आयु-वर्ग को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय शिक्षा के हमारे कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों को कवर करते हैं।

स्कूल के शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए – एफ.ई.टी.पी. एवं एम.एस.एस.पी.
युवाओं के लिए, महाविद्यालय स्तर पर – एफ़.ए.सी.टी.
हमारे समाज के वयस्कों के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में – एफ.ई.पी.ए.

वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ.ई.टी.पी.)

एफ.ई.टी.पी., देश में वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए लोगों और संगठनों को अपक्षपाती व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा प्रदान करने हेतु एन.सी.एफ.ई. की एक पहल है। एनसीएफई द्वारा संपूर्ण भारत में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले **स्कूल-शिक्षकों** के लिए एफईटीपी का आयोजन किया जाता रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, इन शिक्षकों को "मनी स्मार्ट टीचर्स" के रूप में प्रमाणित किया जाएगा तथा स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी और विद्यार्थियों को मूलभूत वित्तीय कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
एन.सी.एफ.ई., स्कूलों को उनके स्कूल शिक्षकों के लिए, हमारी वेबसाइट (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) पर पंजीकरण लिंक के माध्यम से एफ.ई.टी.पी. का पंजीयन कराने और सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम (एम.एस.एस.पी.)

एम.एस.एस.पी., स्कूलों में अपक्षपाती वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एन.सी.एफ.ई. की एक पहल है जिससे वित्तीय साक्षरता में सुधार लाया जा सके जो प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन-कौशल होता है। एनसीएफई द्वारा कक्षा VI से X तक के विद्यार्थियों के लिए, उनके विद्यमान पाठ्यक्रम के भाग के रूप में, **स्कूलों** को स्वेच्छा से वित्तीय साक्षरता शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एन.सी.एफ.ई. और सी.बी.एस.ई. ने संयुक्त रूप से कक्षा VI से X तक विद्यार्थियों के लिए व्यापक अध्ययन सामग्री विकसित की है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले स्कूलों को "मनी स्मार्ट स्कूल" के रूप में प्रमाणित किया जाएगा और कार्यक्रम के सफल समापन के बाद एक शील्ड / ट्रॉफ़ी और एक ई-बैज़ से पुरस्कृत किया जाएगा।

एन.सी.एफ.ई., स्कूलों को हमारी पंजीकरण वेबसाइट (https://www.ncfe.org.in/program/mssp) पर पंजीकरण लिंक के माध्यम से एम.एस.एस.पी. का पंजीयन कराने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वित्तीय जागरुकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण (एफ.ए.सी.टी.)

एफ.ए.सी.टी., एक कार्यक्रम है जिसे एन.सी.एफ.ई. द्वारा युवा स्नातकों और स्नातकोत्तरों को, उनसे प्रत्यक्षतः संबंधित वित्तीय विषयों पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया है जो इसके परिणामस्वरूप उनके वित्तीय हित-कल्याण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इस कार्यक्रम का प्रयोजन युवाओं को वित्तीय उपभोक्ताओं के रूप में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों, वित्तीय लक्ष्य किस प्रकार निर्धारित करना है, और आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए कहां जाना है, के बारे में जागरूक करना है।

एन.सी.एफ.ई., स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को उनके विद्यार्थियों के लिए हमारी वेबसाइट (https://www.ncfe.org.in/program/fact) पर पंजीकरण लिंक के माध्यम से एफ.ए.सी.टी. का पंजीयन कराने और इसे सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (एफ.ई.पी.ए.)

वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम (एफईपीए) एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है जिसे भारत के वयस्क नागरिकों के मध्य वित्तीय जागरूकता फैलाने के लिए एन.सी.एफ.ई. द्वारा डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए अभिज्ञात किये गए विभिन्न लक्ष्य समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कार्यशाला प्रतिभागियों को सर्वोत्तम तरीके से उनके स्वयं का वित्तीय प्रबन्धन करने के लिए तैयार करेगी। साथ ही, यह कार्यशाला बैंकिंग, निवेश, बीमा और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित वित्तीय उत्पादों व सेवाओं संबंधी मूलभूत जानकारी प्रदान करती है।

एफ.ई.पी.ए. के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, यह लिंक देखें: [https://www.ncfe.org.in/program/fepa].

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र
National Centre for Financial Education
एक आर्थिक रुप से जागरुक और सशक्त भारत
A financially aware and empowered India

NCFE - FINANCIAL EDUCATION FLAGSHIP PROGRAMMES

MSSP

FETP

FACT

FEPA

Contact Us :
022-68265115
National Centre for Financial Education
6th Floor, NISM Bhavan,
Sector-17, Vashi,
Navi Mumbai - 400703

www.ncfe.org.in
info@ncfe.org.in
youtube.com/ncfeindia
twitter.com/ncfeindia
facebook.com/ncfeindia
instagram.com/ncfeindia